न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारीः— सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्याः— 33/2023

हुक्माराम पुत्र नैनूराम जाति मेघवाल निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू. अ. बज्जू

.....प्रतिवादी

दावा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू—राजस्व अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी.

उपस्थित अभिभाषकः

1. श्री हनुमान गिरि वकील वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज राज्य की और से।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 19.12.2025

दावा अन्तर्गत धारा दावा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू—राजस्व अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थी हुक्माराम पुत्र नैनूराम जाति मेघवाल निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा पेश किया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि नाम से चक 5 CWB(A) के मु.नं. 66/53, 66/54 व चक 5 CWB(B) के मु. नं. 66/45,66/46 व चक 9 PSD के मु.नं. 44/14, 44/21, 44/22, 44/23 में रकबा संयुक्त खाते में खातेदारी/गैंर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें वादी की बहिन पारूदेवी का नाम सहवन से बीरमणी, बिरमाणी व निरमती लिख दिया गया है। जो दुरूस्त योग्य है। वादी नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी की बहिन पारूदेवी की शादी ग्राम रणजीतपुरा में चतराराम पुत्र सिरदाराराम के साथ की गई हैं। जहॉ सम्पूर्ण दस्तावेजों में व राजस्व रिकॉर्ड में नाम पारूदेवी ही लिखा गया है। वादी की बहिन पारू देवी की मृत्यु दिनांक 18.04.2019 को हो चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम संयुक्त खाते में वादी के साथ होने के कारण वादी नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है। वादी की बहिन का सही नाम पारूदेवी था परन्तु विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय पारू देवी पुत्री नैनूराम की जगह बिरमाणी लिख दिया गया जो बाद में धीरे धीरे जमाबंदी तहरीर करते समय बिरमाणी, बिरमणी व निरमती लिखते गये जो गलत होने के कारण वादी नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकाराज ने अपने जवाब में नाम दुरूस्ती करने का विरोध नहीं किया व दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं की व अपनी तरफ से सहमति प्रदान की गई। वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में ग्राम पंचायत फूलासर बड़ा व ग्राम पंचायत रणजीतपुरा के संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट 1988 ग्राम रणजीतपुरा की छाया प्रतिया प्रस्तुत की, जिसमें वादी की बहिन का नाम पारूदेवी पत्नी चतराराम अंकित है।

अतः विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों, पैरोकाराज के जवाब के आधार पर वादी की बहिन का नाम बिरमाणी, बिरमणी व निरमती के स्थान पर पारूदेवी किया जाने का संशोधन किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व बज्जू को निर्णय की प्रति भेज कर निर्देशित किया जाता है कि संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम की शुद्धि कर पालना से न्यायालय को अवगत करवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
दिनांक :—

उपखण्ड अधिकारी बज्जू जिला—बीकानेर

क्रमांक :—

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपखण्ड अधिकारी